

तदर्थ बोनस, विशेष वेतन, दैनिक वेतन भोगी की दरें

विषय सूची

क्र०सं०	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	तदर्थ बोनस- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2008-2009 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान	सं० 308/xxvii(7)बोनस/2009 दिनांक 13 अक्टूबर, 2009	273-276
2.	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2009-10 के लिये 30 दिवस के तदर्थ बोनस का भुगतान	सं० 724/xxvii(7) बोनस/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2010	277-280

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनु-7

देहरादून, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2009

विषय: तदर्थ बोनस:-राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2008-2009 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।
पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या-229/xxvii(7)बोनस/2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2008 के साथ पठित शासनादेश संख्या 422/xxvii(7)बोनस/2008 दिनांक 27 नवम्बर, 2008।
- 2- भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या- 7/24/2007/इ-iii(A)/दिनांक 28 अगस्त, 2009।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2008 एवं 27 नवम्बर, 2008 के द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2007-2008 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 अगस्त, 2009 द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3- उपर्युक्त क्रम संख्या-1 एवं -2 पर उल्लिखित क्रमशः शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2008 एवं 27 नवम्बर, 2008 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके पुनरीक्षित वेतमान में रू० 4200 ग्रेड पे जिसका अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू० 10,500 तक है को वर्ष 2008-2009 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की

परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। इस प्रयोजन के लिए दिनांक 31 मार्च, 2009 को ग्राह्य परिलब्धियों तदर्थ बोनस के रूप में रू0 3454 होगी (रू0 3500X30/30.4 = रू0 3453.95 को सुगमांकित कर रू0 3454/-)। उक्त शासनादेश के अनुसार किये जाने वाले समस्त भुगतान रू0 के निकटतम में सुगमांकित कर किये जायेंगे। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(i) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में रू0 4200 का ग्रेड वेतन अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500/- तक है, को ही अनुमन्य होगा। रू0 4200 ग्रेड वेतन का अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500-10500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयमान वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रा:स्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01-01-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हों, के संबंध में पद के वेतनमान का अधिकतम रू0 3500/- तक माना जायेगा। परन्तु रू0 4200 के ग्रेड में अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500-10500 (पूर्ववर्ती रू0 2000-3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी बोनस सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांक: 31 मार्च, 2009 को राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2008-2009 की अवधि के दौरान न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा पूर्ण की हो। वर्ष के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी।

(iii) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि रू0 3500/- प्रतिमाह की परिलब्धियों पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात् जिन कर्मचारियों की परिलब्धियाँ रू0 3500/- से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियाँ रू0 3500/- प्रतिमाह है।

(iv) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि कमशः मूल नियम 9(21)(1), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01-01-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 01-01-1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिए शासनादेश संख्या-वे-आ-1-2043/दस-93-39(एम)/93, दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 तक तथा शासनादेश संख्या-वे-आ-1-624/दरा-39(एम)/93 टी0सी0, दिनांक 16 अगस्त, 1995 के अनुसार अंतरिम सहायता कमशः रू0 100/- प्रतिमाह की प्रथम किस्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रू0 100/- प्रतिमाह की द्वितीय किस्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(v) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता, शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या-वे-आ-1-774/दस-39(एम)/93 टी0सी0, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(vii) ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2008-2009 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2008-2009 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(viii) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।


4-कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2009 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2009 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां ₹0 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि $\text{₹}0\ 1200 \times 30/30.4 = 1184.21$ अर्थात् ₹0 1184/- (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियां ₹0 1200 प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5- अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।

6- आहरण वितरण अधिकारी देयक के साथ कर्मचारी के बैंक का नाम, बैंक खाते का विवरण संलग्न करेंगे, ताकि धनराशि कर्मचारी के खाते में डाली जा सके, जिससे केश ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया का प्रभाव न पड़े।

7- बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

8- उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अंतर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

 (राधा रतूडी)
 सचिव, वित्त।

संख्या: 308 (1) / XXVII (7) बोनस / 2008, एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ((वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
5. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीशनर, कानपुर / देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक, कोषागार सिविल कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, सचिवालय परिसर लखनऊ, उ0प्र0।
13. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
14. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
15. निजी सचिव, मा10 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
7/1/08

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनु--7

देहरादून, दिनांक: 15 अक्टूबर, 2010

विषय: तदर्थ बोनस:-राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2009-2010 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।
पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या-308 / xxvii(7)बोनस / 2009, दिनांक 13 अक्टूबर, 2009।
- 2- भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या: 7 / 24 / 2007 / संस्था-III(क) दिनांक 22 सितम्बर, 2010।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2008-2009 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 सितम्बर, 2010 द्वारा वर्ष 2009-2010 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3- उपर्युक्त क्रम संख्या-1-2 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में ₹4200 ग्रेड पे जिसका अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम ₹10,500 तक है को वर्ष 2009-2010 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। इस प्रायोजन के लिए दिनांक 31 मार्च, 2010 को ग्राह्य परिलब्धियां तदर्थ बोनस के रूप में ₹3454 होगी ($\text{₹}3500 \times 30 / 30.4 = \text{₹}345334.95$ को सुग्मांकित कर ₹3454.00)। उक्त शासनादेश के अनुसार किये जाने वाले समस्त भुगतान रूपये के निकटतम में सुग्मांकित कर किये जाएंगे। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(i) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों,जिनके पुनरीक्षित वेतनमान में ₹4200 का ग्रेड वेतन अपुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम ₹10,500/-तक है,को ही अनुमन्य होगा। जिन अराजपत्रित कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड पे ₹4200 को दिनांक 1-1-2006 अथवा उसके पश्चात ग्रेड पे ₹4600 में वित्त विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:483/XXVII(7)/दि0प्रति0/2010 दिनांक 12 मार्च,2010 के क्रम में पुनरीक्षित कर दिया गया है अथवा भविष्य में किया जाना है उनको तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

वेतनमान ₹4200 ग्रेड वेतन का अपुनरीक्षित वेतनमान ₹6500-10500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयमान वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रा:स्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है,को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01-01-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हों, के संबंध में पद के वेतनमान का अधिकतम ₹3500/-तक माना जायेगा। परन्तु ₹4200 के ग्रेड वेतन में अपुनरीक्षित वेतनमान ₹6500-10500 (पूर्ववर्ती ₹2000-3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी बोनस सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांक: 31 मार्च,2010 को राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2009-2010 की अवधि के दौरान न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा पूर्ण की हो। वर्ष के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी।

(iii) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि ₹3500/- प्रतिमाह की परिलब्धियाँ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात् जिन कर्मचारियों की परिलब्धियाँ ₹3500/- से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियाँ ₹3500/- प्रतिमाह हैं।

(iv) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन,वैयक्तिक वेतन,विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21)(1),9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है,प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01-01-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो,अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 01-01-1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिए शासनादेश संख्या-वे-आ-1-2043/दस-93-39(एम)/93,दिनांक 14 अक्टूबर,1993 तक तथा शासनादेश संख्या-वे-आ-1-624/दस-39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक 16

अगस्त, 1995 के अनुसार अंतरिम सहायता कमशः ₹100/-प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम ₹100/-प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(v) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता, शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या-वे-आ-1-774/दस-39(एम)/93 टी0सी0, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(vi) ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2009-2010 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2009-2010 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(vii) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4-कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2010 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2010 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में संबंधित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां ₹1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि $₹1200 \times 30/30.4 = 1184.21$ अर्थात् ₹1184/- (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियां ₹1200 प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5-अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद में किया जायेगा।

6-बोनस के भुगतान से संबंधित शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेंगे।

7-उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय-व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अंतर्गत पुस्तान्कित किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूडी)


सचिव, वित्त।

संख्या: 724(1)/XXVII(7)बोनस/2010 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ((वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. निबन्धक,उच्च न्यायालय,नैनीताल।
8. रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीशनर,कानपुर/देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक,कोषागार सिविल कार्यालय,नवीन कोषागार भवन(प्रथम तल) कचहरी रोड,इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चैक।
10. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. पुनर्गठन आयुक्त,उत्तराखण्ड,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
13. वित्त अधिकारी,उत्तराखण्ड सचिवालय,देहरादून।
14. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
15. उपनिदेशक,राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
16. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड।
17. निदेशक,एन0आई0सी0,देहरादून।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव।